राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/बो.मि.–216/पंजी. स्था./2012/640 दिनांकः– 30-8-12

कार्यालय–आदेश

विषयः– आवासन मण्डल की योजनाओं में पंजीकृत आवेदको के पंजीकरण एक शहर से दूसरे शहर में स्थानान्तरण बाबत्।

आवासन मण्डल की योजनाओं में प्रतिक्षारत पंजीकृत आवेदको द्वारा मण्डल के अध्यक्ष महोदय के संबोधन में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाकर उनके पंजीकरण अन्य शहर/योजनाओं में स्थानान्तरण हेतु निवेदन किया जा रहा हैं। इन प्रतिक्षारत अधिकांश आवेदको द्वारा आवास आवंटन में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण अन्य शहर/योजनाओं में स्थानान्तरण चाहा गया है।

आवासन मण्डल की जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, भिवाडी इत्यादि योजनाओं में भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रतिक्षारत आवेदको को आवास आवंटन में विलम्ब हुआ है। इन योजनाओं में पूर्व एवं वर्तमान माननीय सांसद/विधायक भी प्रतिक्षारत है जिन्हें भी भूमि की अनुपलब्धता के कारण उक्त शहरों में आवंटन किया जाना संभव नही हो पा रहा है।

बोर्ड की 207वीं बैठक के बिन्दु संख्या 207.16 के क्रम में जारी किये गये कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2009/670 दिनांक 30.07.2009 के द्वारा इस संबंध में जारी पूर्व सभी आदेश अपास्त करते हुए पंजीकरण एक शहर से दूसरे शहर में स्थानान्तरण की सुविधा को समाप्त कर दिया गया था।

उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 16.08.2012 को आयोजित बोर्ड की 216वीं बैठक के बिन्दु सं. 25 में लिए गये निर्णयानुसार वर्तमान मे जहाँ भूमि उपलब्ध नही है, उन प्रतिक्षारत आवेदकों के द्वारा अपने पंजीकरण एक शहर से दूसरे ऐसे शहर में स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने पर जहाँ भूमि उपलब्ध है (जयपुर, कोटा, भिवाडी को छोडकर) उन शहरो में गुणावगुण के आधार पर पंजीकरण स्थानान्तरण माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से किये जा सकेगें। पंजीकरण स्थानान्तरण हेतु पत्रावलियां संबंधित उप आवासन आयुक्त आवेदक के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए भूमि उपलब्धता की रिपोर्ट के साथ स्पष्ट अनुशंसा कर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रेषित करेंगे।

(टी. रविकान्त)
आवासन आयुक्त

216th Board meeting dt. 16.08.2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निजी सहायक–मुख्य अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
5. निजी सहायक– निदेशक विधि/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय रा0आ0म0, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत .... राजस्थान आवासन मण्डल
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड .... राजस्थान आवासन मण्डल
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक